शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

संख्याः–1514 /श0वि0नि0–17–18–53(विविध–विकल्प)/06
देहरादून दिनांक 24अगस्त, 2017

कार्यालय आदेश

कार्यालय ज्ञाप संख्या–523/श0वि0नि0–17–18–53(विविध–विकल्प)/06, दिनांक 27–05–2017 द्वारा उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह ''ग'') नियमावली, 2017 के नियम–18 के अन्तर्गत पालिका अभियन्त्रण सेवा संवर्ग का विकल्प देने वाले कार्मिकों की प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में नियमानुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, परन्तु श्री रामसिंह, मानचित्रकार, नगर निगम, रूद्रपुर के पत्र दिनांक 15–06–2017 द्वारा प्रस्तुत् अनुरोध का निम्नवत् निस्तारण किया गया हैः–

श्री रामसिंह, मानचित्रकार का अनुरोध	निस्तारण
निदेशालय के पत्र दिनांक 05–05–2017 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत विकल्प में संशोधन हेतु दिये गये अन्तिम अवसर के समय पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने एवं पारिवारिक परेशानियों के कारण प्रत्यावेदन दिनांक 09–05–2017, जो कि नगर निगम, रूद्रपुर के पत्र दिनांक 12–05–2017 द्वारा निदेशालय को प्रेषित किया गया है, के माध्यम से केन्द्रीयित सेवा संवर्ग में सम्मिलित होने का इच्छुक न होने का अनुरोध किया गया था। परन्तु अब पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है। अतः पुनः केन्द्रीयित सेवा संवर्ग में सम्मिलित किया जाय।	उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह ''ग'') नियमावली, 2017 के नियम–18 में एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होने का प्राविधान है। श्री रामसिंह को निदेशालय के पत्र दिनांक 05–05–2017 द्वारा अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त श्री रामसिंह द्वारा स्वयं ही अपना विकल्प वापस लिया गया है। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–05–2017 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता सम्बन्धी आपत्तियां आमंत्रित की गयी है, न कि पुनः विकल्प आमंत्रित किये गये है। नियमावली के उपरोक्त प्राविधानों के दृष्टिगत श्री रामसिंह, मानचित्रकार, नगर निगम, रूद्रपुर का अनुरोध विचारणीय नहीं है।

2– अतः प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27–05–2017 पर ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त न होने तथा प्राप्त उपरोक्त अनुरोध बलहीन/विचारणीय न होने के फलस्वरूप सम्यक् विचारोपरान्त उक्त नियमावली के नियम–21(1) तथा नियम–21(5) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत एतद्द्वारा पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अभियन्त्रण सेवा संवर्ग के कार्मिकों की संलग्न राज्य स्तरीय पारस्परिक अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की जाती है।

संलग्नः–अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित कार्मिक को परिचालित करने का कष्ट करें।
3– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़/मसूरी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित कार्मिक को परिचालित करने का कष्ट करें।
4– सम्बन्धित कार्मिक (द्वारा–सम्बन्धित नगर निकाय)।
4– गार्ड फाईल।

(नवनीत पाण्डे)
अपर निदेशक।

निदेशालय के पत्र संख्या–1514....../श0वि0नि0–17–18–53(विविध–विकल्प)/06, दिनांक 24.. अगस्त, 2017 का संलग्नक

''पालिका अभियन्त्रण सेवा संवर्ग'' के अर्न्तगत कार्यरत अकेन्द्रीयित सेवा के मानचित्रकार वेतनबैण्ड रू0 5,200–20,200 ग्रेड वेतन रू0 2800/– की राज्य स्तरीय पारस्परिक अन्तिम ज्येष्ठता सूची

क्र0 सं0	पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के नियमित रूप से नियुक्त का कार्मिक का नाम	जन्मतिथि	मौलिक रूप से नियुक्ति की तिथि	शैक्षिक योग्यता	तैनाती की निकाय
1	श्री आदित्य नाथ	13.05.1966	20.06.1997	इण्टरमीडिएट, मानचित्रकार डिप्लोमा, आई0टी0आई0	नगर पालिका परिषद, मसूरी
2	श्री नन्दाबल्लभ पाण्डे	01.06.1968	13.11.1998	इण्टरमीडिएट, मानचित्रकार डिप्लोमा, आई0टी0आई0	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़

A.O.

CAO

A.D.

अपर निदेशक
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

23.08.17

निदेशक
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून